



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]
No. 267]

नई दिल्ली, बुधस्मतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21, 1940
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सं. ए-12011/5/2018-स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सं.ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों, 2006 तथा सं.ए-12011/2/2015-स्था. दिनांक 27 जुलाई, 2016 तथा सं.ए-12011/1/2017-स्था.(वोल-I) दिनांक 18 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रकाशित अनुवर्ती संशोधनों के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, उप-निदेशक (तकनीकी-विद्युत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पद हेतु प्रासंगिक भर्ती नियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ -

- (i) इन नियमों को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति (संशोधित) विनियम 2018' कहा जा सकता है।
- (ii) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये संशोधन प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. अधिसूचना सं.ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 में उप-निदेशक (तकनीकी-विद्युत) के एक पद को उप-निदेशक (तकनीकी - शहरी / क्षेत्रीय नियोजन) में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिसूचना के खंड 14.2 के बाद दी गई तालिका में उप-निदेशक (विद्युत) के एक पद हेतु भर्ती की विधि को निम्नलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाता है:—

उप-निदेशक (तकनीकी) - कुल 2 पद'

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	चयनित पद या गैर-चयनित पद	क्या सीसीएस के नियम 30 (पेंशन नियम), 1972 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है
1	2	3	4	5	6
उप-निदेशक (शहरी / क्षेत्रीय नियोजन)	एक	समूह 'क'	लेवल-11 (₹67700-208700) सातवां सीपीसी के अनुसार, (पूर्वनिर्धारित वेतनमान ₹10000-325-15200, पांचवां सीपीसी)	चयनित पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोमोटी के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो
7	8	9	10
50 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य: (i) बी.आर्क/बी.ई.(सिविल)/एम.ए. भूगोल और शहरी/क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ नगर नियोजक संस्थान, भारत की एसोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ii) शहरी/क्षेत्रीय नियोजन, परियोजना निगरानी एवं निष्पादन में सात वर्ष का अनुभव	आंतरिक उम्मीदवारों यथा रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी, जो पद के लिए अन्यथा योग्य हैं	सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के मामले में दो वर्ष, केंद्र सरकार के नियमों के अधीन

भर्ती का तरीका: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, जिन पदों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण किया जाना है	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है
11	12	13
भर्ती का तरीका : पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति; प्रतिनियुक्ति न होने पर सीधी भर्ती	योग्य सहायक निदेशकों (तक.) में से पदोन्नति, जिन्होंने नियुक्ति के बाद ₹8,000-13,500 (पांचवां सीपीसी) के वेतनमान में सात साल की नियमित सेवा प्रदान की है	रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं. के-14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा

*नोट: उप-निदेशक (तकनीकी-जीआईएस) के एक पद हेतु प्रासंगिक भर्ती नियम वही रहेंगे।

बी. के. त्रिपाठी, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./142/18]

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

No. A-12011/5/2018-Estt.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (No. 2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006 published vide No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006 and subsequent amendments published vide No. A-12011/2/2015-Estt. dated 27th July, 2016 and No. A-12011/1/2017-Estt. (Vol.I) dated 18th January, 2018 the NCR Planning Board hereby makes the following amendments in the Recruitment Rules relevant to the posts of Deputy Director (Technical-Power), National Capital Regional Planning Board namely:—

1. Short title and commencement —

(i) These regulations may be called the “National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Regulations, 2018”.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notification No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, one post of Deputy Director (Technical-Power) has been converted to Deputy Director (Technical-Urban/Regional Planning). The method of recruitment given in the table in respect of the one post of Deputy Director (Power) given after clause 14.2 of the notification, is substituted with the following Schedule:—

Deputy Director (Technical) – Total 2 posts*

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay scale	Whether Selection Post or non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension Rules), 1972
1	2	3	4	5	6
Deputy Director (Urban/Regional Planning)	One	Group 'A'	Level-11 (Rs.67700-208700) as per 7 th CPC, (Pre-revised scale Rs. 10000-325-15200, 5 th CPC)	Selection post	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 50 years	Essential: (i) B. Arch/B.E. (Civil) /M.A. Geography and Master's Degree in Urban / Regional Planning or have passed Associateship examination of Institute of Town Planners, India with minimum 55% marks. (ii) 7 years experience in urban/regional planning, execution and monitoring of projects.	There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post.	Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules.

Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.
11	12	13
Method : Promotion, failing which Deputation, failing which Direct Recruitment.	Promotion from amongst eligible Assistant Directors (Tech.), who have rendered seven years of regular service after appointment thereto in the pay-scale of Rs. 8000-13500 (5 th CPC).	The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985.

**Note: Recruitment Rules relevant to the one post of Deputy Director (Technical-GIS) will remain same.*

B. K. TRIPATHI, Member -Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./142/18]

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.12
19:43:26 +05'30'